फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

रामकुमार बनाम फूलचन्द व अन्य

र्थना पत्र संख्या : 44/2023

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	03.08.2023	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम घटवाडा पटवार हल्का बिलौची भु0अ0नि0 क्षेत्र बिलौची तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1300/113 रकबा 0.1184 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1302/113 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1303/464 रकबा 0.0832 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.2216 हैक्टेयर विवादग्रस्त भूमि पर मौके, कब्जे की स्थिति बनाये रखे एवं सीमाओ से किसी भी प्रकार की छेडछाड न करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 16.08.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर आज दिनांक 16/8/23 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता संघ द्वारा आज कन्डोलेस/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ठा.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं; अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/9/23 को पेश हों।	नोटिस जारी 1519-1525 16/8/23
	26/8/23	पत्रावली मूल वाद में प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] जारी [illegible] वादपत्र का पेश होने पर [illegible] वादी का वाद पत्र [illegible] खारिज किया जाकर [illegible] खारिज किया जा [illegible] इस प्रार्थना पत्र का [illegible] का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	रामकुमार [illegible] 24/08/23

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested